UPMO010067192020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों हेतु) कक्ष संख्या 1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (प्रीति सिंह–द्वितीय), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01613**

सत्र परीक्षण संख्या-1190/2020

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

बन्टी पुत्र नन्दन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी आदर्श कॉलोनी, थाना- सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद।

………………...अभियुक्त।

अपराध संख्या	803/2020
अन्तर्गत धारा	452, 323, 325, 354 ख, 376, 307 भारतीय दण्ड संहिता
थाना व जिला	सिविल लाइन्स, जिला– मुरादाबाद
वादिनी	पीड़िता
प्रतिनिधित्व (वादिनी)	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक कुमार यादव
अभियुक्त	बन्टी
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	सी.एल.ए.डी.सी. प्रमोद कुमार सक्सैना प्रत्येकी
घटना की तिथि	04.06.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने की तिथि	03/04.06.2020
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि	958/2020, दिनांक-27.08.2020
सत्र सुपुर्दगी	21.10.2020
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	08.02.2021

उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः–

क्र0 सं0	प्रदर्श सं0	प्रपत्र का नाम	प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर प्रार्थना पत्र	पी0 डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
2.	प्रदर्श क–2	फर्द कपड़े (पीड़िता)	पी0 डब्लू0-1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
3.	प्रदर्श क–3	बयान अन्तर्गत धारा-164	पी0 डब्लू0-1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता

Digitally signed by PRITI SINGH
Date: 2026.08.12 16:52:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

		दण्ड प्रक्रिया संहिता	
4.	प्रदर्श क–4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0-2 आरक्षी श्रीमती मोनिका
5.	प्रदर्श क–5	कायमी जी0 डी0	पी0 डब्लू0-2 आरक्षी श्रीमती मोनिका
6.	प्रदर्श क–6	चिकित्सीय आख्या	पी0 डब्लू0-3 डॉक्टर प्रीति राज
7.	प्रदर्श क–7	पूरक चिकित्सीय आख्या	पी0 डब्लू0-3 डॉक्टर प्रीति राज
8.	प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी	पी0 डब्लू0-4 उपनिरीक्षक सुशीला कुमारी
9.	प्रदर्श क–9	आरोप पत्र	पी0 डब्लू0-4 उपनिरीक्षक सुशीला कुमारी
10.	प्रदर्श क–10	5/24 ता 5/25 चोट प्रपत्र	पी0 डब्लू0-5 डॉ0 पवन कुमार
11.	प्रदर्श क–11	सप्लीमेंटरी रिपोर्ट	पी0 डब्लू0-6 डॉ0 पवन कुमार

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–1190/2020 में पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-803/2020 में अभियुक्त बन्टी के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–452, 376, 323, 307, 325 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 03.09.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण उक्त दिनांक 21.10.2020 को ही सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 03.11.2020 के अनुपालन में उक्त पत्रावली अंतरित होकर उक्त दिनांक को ही इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 04.06.2020 को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र थाना-सिविल लाइन, जनपद मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया कि "प्रार्थिनी दिनांक 03.06.2020 (4.06.2020) की रात्रि लगभग 01.15 बजे अपने घर में अकेले सो रही थी तभी अचानक प्रार्थिनी के घर के बाहर की लाइट बंद हो गई। प्रार्थिनी घबरा गई प्रार्थिनी ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोल के देखा बाहर की लाइट किसी व्यक्ति द्वारा बंद की गई थी प्रार्थिनी ने दोबारा उस लाइट को जला दी प्रार्थिनी ने इधर उधर देखा तो प्रार्थिनी को कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। प्रार्थिना वापस अपने कमरे की तरफ लोटने लगी, लोटकर कमरे को बंद कर रही थी तभी बाहर से दरवाजे पर लात मारी प्रार्थिनी पीछे की तरफ गिर गई और घर में अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम बन्टी पुत्र नन्दन निवासी आदर्श कॉलोनी थाना- सिविल लाइन मेरे कमरे में घुस गया, घुसते ही उसने मेरे मुँह को अपना हाथों से दबा दिया, जिससे मैं चिल्ला नहीं पाई तो उसने अचानक से मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे वस्त्र फाड़ दिये तथा उसने मेरी इज्जत को लूट और मुझे मारने पीटने लगा और मेरे साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। शारीरिक शोषण किया। प्रार्थिनी दया की भीख मांगती रही लेकिन उस लड़के बन्टी ने अपनी शारीरिक भूख मिटाने के बाद प्रार्थिनी को मोबाइल चार्जर के तार से गला दबाकर मारने की कोशिश करी प्रार्थी बहुत घबरा गई प्रार्थिनी चिल्लाती हुई बन्टी को धक्का देते हुए घर से बाहर निवस्त्र ही आ गई बाहर आकर प्रार्थनी चिल्लाती हुई भागी तो प्रार्थिनी के पास पड़ोस वाले आ गये उन्होंने प्रार्थनी को शरीर ढकने के लिए चादर दी और बन्टी को भागते हुए पास पड़ोस ने देखा। प्रार्थिनी की आयु 25 वर्ष है। श्रीमान जी कृपा

करके प्रार्थिनी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कृपा करें।"

3. उक्त प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** के आधार पर दिनांक 04.06.2020 को अभियुक्त बन्टी के विरूद्ध थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध सं0-803/2020, धारा-452, 376, 323 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज हुआ, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त बन्टी के संबंध में अन्तर्गत धारा-452, 376, 323, 307 व 325 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया।

5. विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

6. प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्त बन्टी के विरूद्ध दिनांक 08.02.2021 को धारा- 452, 323, 325, 354 ख,376 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

7. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू0- 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता, पी0 डब्लू0- 2 आरक्षी श्रीमती मोनिका, पी0 डब्लू0-3 डॉक्टर प्रीति राज, पी0 डब्लू0-4 उपनिरीक्षक सुशीला कुमारी एवं पी0 डब्लू0-5 डॉक्टर पवन कुमार को परक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क-1, फर्द कपड़े (पीड़िता) को प्रदर्श क-2, बयान अन्तर्गत धारा-164 सीआर.पी.सी. को प्रदर्श क-3, प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-4, कायमी जी0 डी0 को प्रदर्श क-5, चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-6, पूरक चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क-7, नक्शा नजरी को प्रदर्श क-8, आरोप पत्र को प्रदर्श क-9, पीड़िता के चोट प्रपत्र को प्रदर्श क-10 एवं सप्लीमेंटरी रिपोर्ट को प्रदर्श क-11 के रूप में साबित कराया गया है।

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए मुकदमा रंजिशन चलना बताया और कहा कि वह बेगुनाह है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

11. अभियोजन द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 03/04.06.2020 की रात्रि लगभग 01.15 पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर गृह अतिचार किया, पीड़िता को लात घूसों से मारपीट कर उपहति एवं घोर उपहति कारित की, पीड़िता को निःवस्त्र करने के आशय से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया, उसके कमरे में घुसकर उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया तथा मोबाईल के चार्जर की तार से पीड़िता का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-11 अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है। अभियोजन अपने केस को साबित करने में सफल रहा है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि की जाये।

इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने मुख्य परीक्षा से प्रतिपरीक्षा तक विरोधाभासी कथन किये हैं, अभियोजन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

12. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "घटना दिनांक 03/04.06.2020 की रात की है। मैं अन्दर कमरे में लेटी हुई थी। एक बजे रात के करीब अचानक बरामदे की लाईट बंद हो गयी। मैं बरामदे में लाइट चैक करने आयी। मैंने लाइट को ऑन किया। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैं अपने वापस कमरे में चली गयी। जैसे ही दरवाजा बंद कर रही थी तो किसी ने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा तो मैं पीछे गिर गयी और मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। धक्का मारने वाले मौहल्ले का रहने वाला बन्टी पुत्र नन्दन था। उसने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा बंद करने से रोका तो उसने मेरे साथ मार-पीट किया। शोर मचाने की कोशिश की तो उसने मेरा मुँह बंद कर दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिये और हमें निर्वस्त्र कर दिया। मैंने धक्का दिया, उसने पुनः मुझे मारा पीटा और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने मुझे मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटना चाहा जिसे मैंने अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया था। मैं जोर-जोर से चिल्लाई तो मौहल्ले के लोग आ गये थे, जिन्होंने बन्टी को वहाँ से भागते हुए देखा था। मुझे मौहल्ले के लोगों ने बताया था कि यह मौहल्ले का बंटी है। मैंने उसी समय 112 नम्बर पर कॉल किया था। पुलिस आयी थी। मैंने दिनांक 04.06.2020 को ही थाना-सिविल लाइन पर घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर स्वयं लिखकर दी थी। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-**4/3** को जब साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाना सिविल लाइन्स पर दी थी। यह मेरे हस्तलेख में हैं, इस पर मेरे हस्ताक्षर है। साक्षी के हस्ताक्षर को 'ए' बिन्दु दिया गया। **तहरीर** पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। मेरी इस घटना के सम्बन्ध में महिला पुलिस ने बयान लिया था। मेरा पुलिस ने जिला महिला अस्पताल में मेडिकल कराया था। घटना वाले दिन जो कपड़े मैं पहने थी, वह मैंने अपनी ताई के सामने व बुआ सीमा रानी के सामने महिला दरोगा को दिये थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने फर्द बनायी थी। उस फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-**5/17 फर्द** लेने बावत कपड़े पीड़िता, पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया तथा फर्द को देखकर सुनकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द है जो मेरी बुआ व ताई के सामने महिला दरोगा ने मेरे कपड़े के सम्बन्ध में बनायी थी। फर्द पर पीड़िता के हस्ताक्षर को 'ए' बिन्दु दिया गया। फर्द पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ अदालत में बयान हुए थे। मैंने घटना के बारे में मजिस्ट्रेट साहब को बयान दिया था। न्यायालय की अनुमति से पीड़िता का 164 सीआर.पी.सी. के बयानों का सीलबन्द लिफाफा खोला। पीड़िता ने 164 सीआर.पी.सी. के अंकित बयानों पर चस्पा अपना फोटो एवं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। पीड़िता के हस्ताक्षर को 'ए' बिन्दु दिया गया। पीड़िता ने **164 सीआर.पी.सी.** के बयानों को देखकर व सुनकर कहा कि यह बयान मैंने अपनी स्वतंत्र मर्जी से मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे। 164 सीआर.पी.सी. के बयानों पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। घटना के बारे में मैंने सारी जानकारी पुलिस को बतायी थी। मैंने घटनास्थल भी पुलिस को दिखाया था।।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "मैंने स्नातक पास हूँ। जब की घटना है, उस समय मैं जियो कंपनी में जॉब करती थी। मेरी ड्यूटी सुबह 10:00 बजे से शाम के 07:00-08:00 बजे तक थी। मुझे बंटी का नाम मौहल्ले वालों ने उसको पहचानते हुए बताया था। मुझे

बंटी का नाम रात के 01:30 बजे बताया। पहले कहा 01:00 बजे बताया। मुझे नहीं मालूम कि बंटी का नाम मुझे किसने बताया था क्योंकि वहाँ काफी लोग थे। मैं मौहल्ले वालों को जानती हूँ लेकिन उनके नाम ध्यान नहीं हैं। पुलिस को फोन मौहल्ले वालों ने किया था। किसने किया था यह नहीं बता सकती लेकिन 112 नंबर पर फोन किया गया था। किस समय किया गया था, यह भी नहीं बता सकती। पुलिसकर्मी जीप से लगभग रात्रि 01.30 बजे आये थे। जो घर के अंदर आये थे, वो दो पुलिसकर्मी थे। उनके नाम मुझे नहीं मालूम। दोनों ही पुरूष थे। पुलिस ने मुझसे और मौहल्ले वालों से पूछताछ की थी और मुझे अपने साथ थाने ले गये थे। थाने पर ले जाकर रात्रि में ही मुझसे तहरीर लिखवाकर एफआईआर दर्ज की थी। यह रात्रि लगभग 02.00 बजे की बात है। मुझे एफआईआर की कॉपी दी थी या नहीं दी थी, मुझे याद नहीं है। सुबह के समय पुलिस मुझे अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर गयी थी। यह सुबह के लगभग 06:00-07:00 बजे का समय था। घटना दिनाँक 03/04.06.2020 की है। जो मैंने घटना का समय रात्रि 01:00 बजे बताया है वह मैंने एफआईआर के लिये अपनी तहरीर में लिख दिया था। तहरीर मैंने स्वयं लिखी थी। बंटी की बहन का घर (ससुराल) मेरे घर से एक घर छोड़कर तीसरा घर है। मुझे बंटी की बहन का नाम नहीं पता है। मेरा उसकी बहन से झगड़ा नहीं हुआ था। घटना में मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुयी थी तथा चेहरे पर चोटें आयी थीं और हाथ पैरों व पेट पर भी चोटें आयी थी। और कहीं चोटें नहीं आयीं। घटना के समय जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, वे कपड़े महिला कांस्टेबल ने मुझसे मेडिकल के लिए जाने से पहले ले लिये थे। मुझे नहीं मालूम कि उन कपड़ों का महिला कांस्टेबल ने क्या किया। मैंने तहरीर पर साइन किये थे यह मुझे याद है। अन्य किन कागजों पर मैंने साइन किये थे, यह मुझे याद नहीं। जो कपडे मैंने महिला कांस्टेबल को दिये थे, वे कपड़े मैं घर से ही बदलकर थाने लेकर गयी थी। थाने पर दिये गये कपड़ों में एक टॉप था, जिसे टी-शर्ट भी कहते है, का मुझे रंग याद नहीं है और एक लोअर था, उसका रंग भी मुझे याद नहीं। ये दोनों कपड़े फटी हुयी हालत में थे। लोअर इलास्टिक वाला था। टॉप नॉर्मल था, उसमें कोई बटन नहीं था। अस्पताल पहुँचने के आधा घंटे के बाद मेरा मेडिकल हुआ था। जो मैं आज बयान दे रही हूँ और जिन बातों का जवाब मैंने वकील साहब को दिया है, वे सभी बातें मैंने दरोगा जी को बता दी थीं। दरोगा जी ने मेरा बयान थाने में दिनाँक 04.06.2020 की सुबह में मुझे कुर्सी पर बैठाकर लिया था। मेरा बयान महिला दरोगा ने लिया था, जिनका नाम सुशीला था। घटना के समय हमारे घर पर लगा मीटर मेरे पिताजी के नाम पर लगा हुआ था। यह कहना गलत है कि घटना के समय लाइट भागी हुयी थी। मुझे दिशाओं का ज्ञान है। मेरे घर के पूर्व में स्व श्रीमति शांता देवी का मकान है। पश्चिम में राजू का मकान है। उत्तर में आरती का मकान है। दक्षिण दिशा में आम का बाग है। खाली जगह है। यह कहना गलत है कि पुलिस को फोन मौहल्ले के लोगों द्वारा न किया गया हो, बल्कि मेरे द्वारा किसी अन्य नंबर पर किया गया हो। अभियुक्त मेरे कमरे में लगभग आधा घंटा रहा। जैसे ही अभियुक्त कमरे में घुसा मैंने शोर मचाया। मौहल्ले के लोग मेरे शोर मचाने पर लगभग आधा घंटा बाद आये। अभियुक्त मुझे हाथ-पैरों से मारता रहा और चार्जर की लीड से मेरा गला भी दबाया और मैं बचाओ-बचाओ चीखती रही। चार्जर मेरा ही था मेरे कमरे में ही था। चार्जर की कंपनी मुझे ध्यान नहीं है लेकिन काले रंग का था। चार्जर फोन के साथ ही आया था। चार्जर दुकान पर भी मिलता है। चार्जर की लीड थाने में जमा करवा ली गयी थी। ये भी दिनाँक 04.06.2020 की सुबह को जमा करवा लिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि चार्जर की लीड जमा करवाने के बाद पुलिस ने उसका क्या किया। मेडिकल करवाने के बाद मैं थाने गयी थी और थाने के बाद अपने घर गयी थी। यह कहना गलत है कि मेरा अभियुक्त की बहन से झगड़ा हुआ हो और उसकी रंजिश में मैंने अभियुक्त की बहन से बदला लेने के लिए अभियुक्त को

फंसाया हो। यह कहना गलत है कि मैंने दिनाँक 04.06.2020 को समय सुबह 04:50 बजे थाना सिविल लाइन्स थाने में अभियुक्त के खिलाफ एनसीआर न लिखवायी हो। मैं घटना के बाद अपना घर छोड़कर अपनी ताई के घर रहने चली गयी थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पीछे पुलिसकर्मी मेरे घर आये थे या नहीं। मैं अब भी अपने मकान में नहीं रहती हूँ। यदि पुलिसकर्मियों ने दिनाँक 04.06.2020 के बाद में मेरे घर पर बैठकर कोई लिखत-पढ़त की हो अथवा कोई नक्शा बनाया हो, तो इसकी वजह में नहीं बता सकती। दिनाँक 04.06.2020 के बाद मेरा घर खुला हुआ था। इस घटना से पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे अलावा उस घर में कोई अन्य नहीं रहता था। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुयी हो और में झूठ बोल रही हूँ।"

13. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 2 आरक्षी श्रीमती मोनिका** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 04.06.2020 को मैं थाना सिविल लाइन में महिला आरक्षी के पद पर तैनात थी।उक्त दिनांक को समय 20.43 बजे पीड़िता पुत्री श्री सतेन्द्र कुमार निवासी आदर्श कॉलोनी, थाना-सिविल लाइन की लिखित तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पर मेरे द्वारा मु0 अ 0 सं0-803/2020, धारा-452, 376, 323, 307 भा0 दं0 सं0 बनाम बंटी कायम व दर्ज किया गया। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-5/9 ता 5/10 एफ.आई.आर. को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही **एफ.आई.आर.** है जो मेरे द्वारा पीड़िता की तहरीर के आधार पर कायम की गई, तस्दीक करती हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। तहरीर व चिक का खुलासा जीडी नं0-75 समय 20.43, दिनांकित 04.06.2020 पर किया गया है। **जीडी** की प्रति पत्रावली में पेपर सं0-**5/11** के रूप में संलग्न है तस्दीक करती हूँ जिस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "जब मैंने एफ.आई.आर. लिखी थी तो विवेचक वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैंने इसकी एस.आर. रिपोर्ट बनाई थी। एस.आर. रिपोर्ट की नकल पत्रावली पर नहीं है। लड़की मौजूद थी जब मैंने तहरीर लिखी थी। लड़की अकेली आयी थी उसके हाथ में कपड़े नहीं थे। मुझे इस समय याद नहीं है शायद उसके गाल पर चोट थी। लड़की तहरीर लेकर आयी थी मेरे सामने उसने तहरीर नहीं लिखी थी। तहरीर पर लड़की के हस्ताक्षर पहले से ही थे। इस एफ.आई.आर. के दर्ज करने से पहले मैंने इन्सपेक्टर साहब को फोन से अवगत करा दिया था पहले जी.डी. लिखी थी फिर एफ.आई.आर. लिखी थी। एफ.आई.आर. दो या तीन पेज की है। मुझे सही याद नहीं है। एक प्रति एफ.आई.आर. की वादिनी को दी थी। वादिनी के हस्ताक्षर कराने वाली बात मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने वादिनी की अनुपस्थिति में यह मुकदमा दर्ज किया हो और ऐसी कोई घटना न हुई हो।"

14. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 3 डॉक्टर प्रीति राज** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 04.06.2020 को मैं जिला महिला चिकित्सालय में इ.एम.ओ. के पद पर तैनात थी। उक्त दिनांक को समय 10.40 पी. एम. पर पीड़िता जिसको महिला कांस्टेबिल नीरज कुमारी थाना सिविल लाइन लेकर के आयी थी, का मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया। पीड़िता आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन जिला मुरादाबाद की रहने वाली थी। पीड़िता के बांये कान के बीच में एक काला तिल जो चेहरे से एक सेमी दूर और बीच में था। पीड़िता अविवाहित थी। पिछली माहवारी 22.05.2020 को थी। पीड़िता पूर्ण होशो-हवास में थी। सामान्य कद-काठी की थी। द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित थे। घटना के वक्त के पहने कपड़े बदले जा चुके थे। पीड़िता के ऊपरी शरीर पर चोटें थीं, जिसको दिनांक 04.06.2020 को समय 04.50 पी.एम. पर ई.एम.ओ. जनपद चिकित्सालय मुरादाबाद द्वारा परीक्षित किया गया था। पीड़िता के आंतरिक शरीर पर कोई चोट नहीं

थी। हाइमन पुराना एवं फटा व जुड़ा था। योनि स्राव से स्लाइड तैयार करके मृत एवं जीवित शुक्राणुओ की जांच हेतु पैथोलोजी लैब भेजा गया था। उम्र के निर्धारण हेतु एक्सरे की सलाह दी गयी थी। पत्रावली में संलग्न पेपर संख्या **5/19 ता 5/20 मेडिकल परीक्षण** पीडिता मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर पीड़िता का दाहिने हाथ का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है। तस्दीक करती हूं। इस **प्रदर्श क-6** डाला गया। दिनांक 13.06.2020 को पैथोलोजी रिपोर्ट एवं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीडिता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी। पैथोलोजी रिपोर्ट में पीड़िता के योनि स्राव में कोई भी मृत एवं जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। शारीरिक परीक्षण एवं उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर लैंगिक उत्पीड़न से इन्कार नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या-**5/23 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट** मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। तस्दीक करती हूं। इस **प्रदर्श क-7** डाला गया।" **बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "पीड़िता के आन्तरिक शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया। पीड़िता के साथ बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। एक्स रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 21 वर्ष पायी गयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने सही रिपोर्ट ना बनायी हो।"

15. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 4 उपनिरीक्षक सुशीला कुमारी (विवेचक)** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "थाना सि०ला० में तैनाती के दौरान मुझे उपरोक्त मुकदमें की विवेचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 05.06.2020 को मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान पीड़िता एवं निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त बन्टी को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त का रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जिला कारागार भेजा गया। घटनास्थल की **नक्शा नजरी** पत्रावली में पेपर संख्या-**5/33** के रूप में मेरे लेख व हस्ताक्षर में उपलब्ध है, तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क-8** डाला गया। दिनांक 06.06.2020 को पीड़िता के घटना के वक्त पहने कपड़े कब्जे में लेकर रूबरू गवाहान फर्द तैयार की गयी। फर्द पत्रावली में पेपर संख्या-5/17 के रूप में संलग्न है। इस पर पीड़िता गवाहन के हस्ताक्षर है तथा मेरे लेख व हस्ताक्षर में उपलब्ध है, तस्दीक करती हूं। इस पर प्रदर्श क-2 पूर्व से पड़ा है। उक्त दिनांक को ही पीड़िता का मजीद बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया जिसमें उसने बताया था कि मैं डर गयी थी इसलिए मैंने पूर्व में केवल मारपीट एवं गाली गलौच की बात बताई थी। जबकि वास्तविकता में अभियुक्त ने मेरे साथ बलात्कार एवं मारपीट की थी। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा पीड़िता की ताई श्रीमती अरदेश एवं बुआ श्रीमती सीमा रानी का बयान अंकित किया। दिनांक 07.06.2020 को स्वतंत्र साक्षी / चश्मदीद गवाहन विमल, विकास, मिथुन, पप्पू, प्रेम, अनीता, सुनीता एवं पूजा के बयान अंकित किये, जिसमें उक्त गवाहन ने घटना का समर्थन किया। दिनांक 13.06.2020 को पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर सी०डी० में अंकित किया एवं पीड़िता का मेडिकल करने वाली डा० प्रीतिराज का बयान अंकित किया गया। दिनांक 16.06.2020 को पीड़िता के कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था के संबंध में रिसिविंग कॉपी प्राप्त हुई थी जो सी०डी० में संलग्न है। दिनांक 18.06.2020 को पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट एवं पूरक आख्या जो दिनांक 04.06.2020 को डा. पवन कुमार द्वारा किया गया था के संबंध में पर्चा किता किया गया एवं संबंधित सी०डी० में संलग्न किया गया। दिनांक 23.06.2020 को डा. पवन कुमार का बयान अंकित किया गया एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा-325 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 24.06.2020 को पीड़िता के बयान अंतर्गत

धारा-164 द०प्र०सं० के बयानों का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया गया। दिनांक 25.06.2020 को मजीद बयान पीड़िता अंकित किया गया। दिनांक 08.07.2020 को पीड़िता के कपड़ों की परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पर्चा किता किया गया तथा दिनांक 21.07.2020 को भी परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पर्चा किता किया। दिनांक 16.08.2020 को भी परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में पर्चा किता किया। दिनांक 27.08.2020 को संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बन्टी पुत्र नन्दन के विरूद्ध अंतर्गत धारा-452,376,323,307,325 भा०द० संहिता में **आरोप पत्र** मा. न्यायालय में प्रेषित किया गया जो पत्रावली में पेपर सं-**3/1 ता 3/3** के रूप में संलग्न है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में उपलब्ध है, तस्दीक करती हूं। इस पर **प्रदर्श क-9** पूर्व से पड़ा है।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "यह बात सही है कि इस केस से पहले मैंने धारा-376 आई.पी.सी. की कोई विवेचना की है कि नहीं यह मुझे याद नहीं। यह बात सही है कि उक्त वाद की वादनी/पीड़िता ने उसी रात इस केस के अभियुक्त बंटी के खिलाफ एक तहरीर दी ती जिसकी जांच मेरे द्वारा नहीं की गई, अन्य दरोगा जी द्वारा की गई होगी। वादिनी के 161 सीआर.पी.सी. के बयान थाने में लिये थे, एफ.आई.आर. पंजीकृत उपरान्त लिये थे। मैंने पीड़िता/वादनी के मजीद बयान दो बार लिये थे। मैंने दूसरी बार मजीद बयान इसलिए लिए थे क्योंकि प्रकरण में धारा-307 आई.पी.सी. का केस था, मैंने मुख्य बयानों जो दिनांक 02.07.2024 को न्यायालय में दिया था उसकी ऊपर से चौदहवीं लाइन में पेज नं0-1 पर उक्त दिनांक को ही पीड़िता का मजीद बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया जिसमें उसने बताया था कि मैं डर गयी थी इसलिए मैंने पूर्व में केवल मारपीट व गाली गलौच की बात बताई थी, यह बात सही है कि उक्त लाइनों में कहीं भी न्यायालय में मुख्य परीक्षा में नहीं कहा कि मैं (वादनी) अभियुक्त बंटी से डर गई थी या बंटी ने मुझे डराया था, यह बात सही है कि पीड़िता की ताई अरदेश व बुआ सीमा रानी ने मुझे पीड़िता को दोनों से मिलने का दिनांक बताया था जो मैंने अरदेश व सीमा रानी के बयानों में लिखा है व पीड़िता के बयानों में भी ताई अदरेश व बुआ सीमा रानी से मिलने का दिनांक नहीं बताया। मैंने पीड़िता के घटना के समय पड़ने कपड़े कब्जे में लेते समय गवाह के रूप में ताई अरदेश व बुआ सीमा रानी को गवाह बनाया था, मुझे पीड़िता द्वारा घटना के कितनी देर बाद अभियुक्त भागा, मुझे नहीं बताया केवल यह बताया कि घटना के समय अभियुक्त ने कई बार बलात्कार किया। कई बार बलात्कार करने का मतलब अभियुक्त द्वारा कई बार मारपीट करना, जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। उक्त लाईने पीड़िता के 161 के बयानों में है। नक्शा नजरी मैंने पीड़िता की निशानदेही में बनाया ता। नक्शा नजरी दिनांक 05.06.2020 को बनाया था, समय याद नहीं। नक्शा नजरी पर पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं कराये क्योंकि नक्शा नजरी पर वादी के हस्ताक्षर नही कराते। नक्शा नजरी बनाते समय मेरे साथ कोई हमराही था की नहीं मुझे याद नहीं। आरोप पत्र मैंने दाखिल किया है आरोप पत्र के साथ पीड़िता द्वारा अभियुक्त बंटी के विरूद्ध दर्ज कराई गई एन.सी.आर. पत्रावली पर मौजूद है। एस.सी.आर. का अवलोकन किया है, यह बात सही है कि एन.सी.आर. में पीड़िता द्वारा अभियुक्त बंटी के विरूद्ध मारपीट एवं गाली गलौच की घटना लिखवाई गई है। खुद कहा जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने कहा था कि बंटी के घर व लोक लज्जा के कारण मैंने बलात्कार की बात तत्काल नहीं बताई थी। यह बात पीड़िता ने 161 के बयानों में नहीं बताई थी। अपने मजीद बयानों में एन.सी.आर. के बारे में पूछने पर बताई थी। 161 सीआर.पी.सी. के बयानों के बाद मजीद बयान कितने दिन बाद लिए, के उत्तर में साक्षी द्वारा बताया गया कि मजीद बयान मैंने 161 दर्ज करने के अगले दिन लिये थे। मौहल्ले वालों ने बताया था कि पीड़िता को उठाने के लिए चादर उसके घर से ही ली थी। यह चादर मैंने अपने कब्जे में नहीं ली थी। चादर मैंने नहीं देखी थी फिर कहा

कि पीड़िता द्वारा कम्बल बताया गया था। पीड़िता को नग्न अवस्था में उठाने वाली बात विमल, विकास, मिथुन, पप्पू, प्रेम, अनीता, सुनीता द्वारा जो कि उसके पड़ोसी है द्वारा बताई गई। यह कहना गलत है कि मैंने सारी विवेचना थाने पर बैठकर की हो और कोई मुआयना न किया हो।"

16. अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0- 5 डॉक्टर पवन कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "मैं आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 04.06.2020 को मेरी ड्यूटी आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में लगाई गई थी। उस दिन एक चोटिल महिला जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्री सतेन्द्र निवासी आदर्श कॉलोनी, थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद को एस.ओ. थाना सिविल लाइन के माध्यम से महिला कां0 2901 अरूणा के द्वारा परीक्षा हेतु लाया गया था। परीक्षण का समय 4.50 ए.एम. था। महिला के शरीर पर पहचान के रूप मे एक काला तिल बायी तरफ चेहरे पर कान के सामने मौजूद था। परीक्षण के दौरान महिला के शरीर पर एक चोट पाई गई जो कि नीलगू निशान सूजन के साथ बायी तरफ चेहरे पर नाक सहित 09.00x5.00 सेंटीमीटर पाई गई थी जिसे निगरानी में रखते हुए एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चोट उस वक्त ताजा थी एवं किसी ठोस या कठोर वस्तु से आना संभव थी। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-**5/24 ता 5/25 चोट प्रपत्र** को देखकर साक्षी ने कहा कि यह चोट प्रपत्र मेरे द्वारा पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के दौरान तैयार किया गया इस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है तथा मेरे हस्ताक्षर है तस्दीक करती हूँ। इस पर **प्रदर्श क-10** डाला गया। दिनांक 18.06.2020 को मेरे द्वारा पीड़िता की एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर सप्लीमेंटरी रिपोर्ट तैयार की गई। चोट का नाक वाले हिस्से में चोट गंभीर प्रकृति की थी एवं बाकी हिस्से में साधारण थी। पत्रावली में संलग्न पेपर सं0-**5/26 सप्लीमेंटरी रिपोर्ट** को देखकर साक्षी ने कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ, इस पर **प्रदर्श क-11** डाला गया।" **बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "इस चोट की ड्यूरेशन लगभग 6-8 घंटे होगी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में नाक पर जो चोट आयी है, उसमें डाक्टर के द्वारा केवल फ्रैक्चर लिखा गया है। उसी के आधार पर मेरे द्वारा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की गयी है। यह बात सही है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, यह रिपोर्ट में अंकित नहीं है। एक्स रे करने वाले डॉक्टर के द्वारा चोट को गंभीर नहीं लिखा गया है। यह बात सही है कि यह चोट रात के अंधेरे में मुँह के बल गिरने से भी आना संभव है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा एक्स रे की चोट को गंभीर प्रकृति का बताया गया हो।"

17. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 सीआर0 पी0 सी0 अंकित किया गया, तत्पश्चात् अभियुक्त की ओर से डी0 डब्लू0-1 के रूप में साक्षी दीपा को परीक्षित कराया गया।

18. बचाव **साक्षी डी0 डब्लू0- 1 दीपा पत्नी प्रेम कुमार** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया कि, "दिनांक 3/4 जून, 2020 को तड़के सुबह लगभग 4 बजे के आस-पास की बात है, मेरे घर की दीवार, पीड़िता की घर की दीवार से मिली हुई है। मेरे घर पर शोर शराबा होगा तो उसके घर आवाज जायेगी व उसके घर शोर शराबा होगा तो मेरे घर आवाज आती है। जो दिनांक व समय 3/4 जून, 2020 की तड़के सुबह में पीड़िता व मौहल्ले के बंटी की जोर-जोर से आवाजे आ रही थी तब मैं गेट खोलकर बाहर आई तो देखा कि पीड़िता व बंटी व उसकी बहन नाली के झगड़े को लेकर जोर-जोर से चीखकर लड़ रहे थे। कुछ देर बाद मौहल्ले के लोगों ने शांत कराकर अपने अपने घर भेज दिया। पीड़िता के घर से दिनांक 3/4 जून, 2020 को अर्धरात्रि में कोई शोर शराबा व मारपीट व किसी

अपराध की घटना मैंने न देखी न सुनी, न कोई शोर की आवाज आई सब आस-पड़ोस के लोग आराम से सो रहे थे, न ही मुझे इन दोनों के बीच किसी ने कोई लड़ाई झगड़े की बात बताई थी।" **अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने सशपथ कथन किया है कि** "दिनांक 3/4 जून, 2020 को क्या दिन था, मुझे आज ध्यान नहीं है। मैं बंटी की बहन को जानती हूँ और बंटी को भी, उसकी बहन की वजह से जानती हूँ। मेरा मायका आदर्श कॉलोनी में ही है। मेरी शादी 2012 में हुई थी। दिनांक 06.01.2012 को हुई थी, बंटी की बहन की ससुराल मेरे पास में है। जब से पुलिस वाले बंटी को पकड़कर ले गये थे तब से मुझे पता है कि बंटी जेल में है। बंटी के पिताजी के बताने पर मैं आज अदालत आई हूँ। बंटी की पत्नी कहां है, यह हमें नहीं मालूम। बंटी की शादी मेरे सामने नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम की बंटी की शादी कहां और कब हुई। पीड़िता को मैं जानती हूँ, पीड़िता के पिता जी का नाम स्व0 सतेन्द्र सिंह है। पीड़िता की जाती कौन सी है, मुझे नहीं पता। मेरी जाति ठाकुर है। मेरे पति फैक्ट्री में काम करते हैं तो रात को 9-10 बजे तक आते हैं। मेरे पति code of codus लाकड़ी फाजलपुर में पिछले 8-10 वर्ष से काम करते है। फैक्ट्री से आकर मेरे पति खाना खाकर सो जाते है। बच्चे भी सो जाते हैं। मेरे मकान में एक कमरा है। बाहर आंगन खुला हुआ है। जब पुलिस आई थी तब मैं वहाँ थी। पुलिस सुबह के 8-9 बजे आई थी। मेरे पति पुलिस के पास नहीं गये। मैं भी पुलिस के पास नहीं गयी। यह कहना गलत है कि मैं आज बंटी के पिता के कहने पर गलत बयानी कर रही हूँ।"

समीक्षा एवं निष्कर्ष

19. पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने दिनांक 3/4.06.2020 की रात्रि लगभग 01.15 बजे जब वह अपने घर में अकेली सो रही थी अचानक घर के बाहर की लाईट बंद होने पर वह घबरा गयी, हिम्मत करके बाहर का दरवाजा खोला तो उस लाइट को जला दिया इधर-उधर देखा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। वापस अपने कमरे में आकर लेटने लगी और कमरे को बंद कर रही थी तभी दरवाजे पर लात मारी प्रार्थिनी पीछे गिर गयी अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी है घर में घुस गया घुसते ही उसने मुँह को हाथ से दबा दिया जिससे कि चिल्ला नहीं पायी तो उसने अचानक से मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे वस्त्र फाड़ दिये। मेरी इज्जत लूटी और मुझे मारने पीटने लगा और मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये मैं दया की भीख मांगती रही परन्तु बंटी ने शारीरिक भूख मिटाने के बाद मोबाईल के चार्जर के तार से गला दबाकर मारने की कोशिश की। घबराकर चिल्लाते हुए बंटी को धक्का देते हुए घर से बाहर निर्वस्त्र आ गयी पड़ोस वाले आ गये प्रार्थिनी के शरीर को ढ़कने के लिए चादर दी और बंटी को भागते हुए पड़ोसियों ने देखा।

20. इस तहरीर को साबित करने के लिए पीड़िता ने स्वयं को पी0 डब्लू0-1 के रूप में परीक्षित कराया और मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया और यह भी बताया कि *"जो कपड़े मैं पहने थी, वह मैंने अपनी ताई के सामने व बुआ सीमा रानी के सामने महिला दरोगा को दिये थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने फर्द बनायी थी। उस फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर कराये गये। 164 सीआर.पी.सी. के बयानों को देखकर व सुनकर बताया कि यह बयान मैंने अपनी स्वतंत्र मर्जी से मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे।"* जिरह में बताया कि *"मैं जियो कंपनी में जॉब करती थी। मेरी ड्यूटी सुबह 10:00 बजे से शाम के 07:00-08:00 बजे तक थी। मुझे बंटी का नाम मौहल्ले वालों ने उसको पहचानते हुए बताया था। किसने बताया था मुझे नहीं मालूम। पुलिस को फोन मौहल्ले वालों ने किया था। किसने किया था यह नहीं बता सकती। पुलिसकर्मी जीप से लगभग रात्रि 01.30 बजे आये थे। जो*

घर के अंदर आये थे, वो दो पुलिसकर्मी थे। मुझे अपने साथ थाने ले गये थे और रात्रि में ही मुझसे तहरीर लिखवाकर एफआईआर दर्ज की थी। यह रात्रि लगभग 02.00 बजे की बात है। सुबह के समय पुलिस मुझे अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर गयी थी। मेरा उसकी बहन से झगड़ा नहीं हुआ था। घटना में मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुयी थी तथा चेहरे पर चोटें आयी थीं। घटना के समय जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, वे कपड़े महिला कांस्टेबल ने मुझसे मेडिकल के लिए जाने से पहले ले लिये थे। एक टॉप था, एक लोअर था, उसका रंग भी मुझे याद नहीं। अभियुक्त मेरे कमरे में लगभग आधा घंटा रहा। जैसे ही अभियुक्त कमरे में घुसा मैंने शोर मचाया। मौहल्ले के लोग मेरे शोर मचाने पर लगभग आधा घंटा बाद आये। अभियुक्त मुझे हाथ-पैरों से मारता रहा और चार्जर की लीड से मेरा गला भी दबाया। चार्जर मेरा ही था मेरे कमरे में ही था। ये भी दिनाँक 04.06.2020 की सुबह को जमा करवा लिया गया था। यह कहना गलत है कि मेरा अभियुक्त की बहन से झगड़ा हुआ हो और उसकी रंजिश में मैंने अभियुक्त की बहन से बदला लेने के लिए अभियुक्त को फंसाया हो। यह कहना गलत है कि मैंने दिनाँक 04.06.2020 को समय सुबह 04:50 बजे थाना सिविल लाइन्स थाने में अभियुक्त के खिलाफ एनसीआर न लिखवायी हो। मैं घटना के बाद अपना घर छोड़कर अपनी ताई के घर रहने चली गयी थी। इस घटना से पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे अलावा उस घर में कोई अन्य नहीं रहता था।"

21. **पी0 डब्लू0- 2 मोनिका** है जिसके द्वारा पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा समय 20.43 बजे दर्ज किया गया तथा उसकी जी.डी. को भी साबित किया गया। जिरह में बताया कि *"जब मैंने तहरीर लिखी थी लड़की अकेली आयी थी उसके हाथ में कपड़े नहीं थे।"*

22. **पी0 डब्लू0- 3 डॉक्टर प्रीति राज** है जिन्होंने दिनांक 04.06.2020 को समय 10.40 पी. एम. पर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था, के द्वारा बताया गया कि पीड़िता के आंतरिक शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जिरह में बताया कि *"पीड़िता की आयु लगभग 21 वर्ष पायी गयी थी। पीड़िता के आन्तरिक शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार कोई मृत या जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया।"*

23. **पी0 डब्लू0- 4 उपनिरीक्षक सुशीला कुमारी (विवेचक)** है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में बताया गया कि "पीड़िता के मजीद बयान मेरे द्वारा अंकित किये गये थे जिसमें उसने बताया था कि मैं डर गयी थी इसलिए मैंने पूर्व में केवल मारपीट एवं गाली गलौच की बात बताई थी। जबकि वास्तविकता में अभियुक्त ने मेरे साथ बलात्कार एवं मारपीट की थी। उक्त दिनांक को ही मेरे द्वारा पीड़िता की ताई श्रीमती अरदेश एवं बुआ श्रीमती सीमा रानी का बयान अंकित किया। दिनांक 07.06.2020 को स्वतंत्र साक्षी / चश्मदीद गवाहन विमल, विकास, मिथुन, पप्पू, प्रेम, अनीता, सुनीता एवं पूजा के बयान अंकित किये, जिसमें उक्त गवाहन ने घटना का समर्थन किया। पीड़िता के कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। चिकित्सक डॉ0 प्रीति राजएवं डॉ0 पवन कुमार का बयान अंकित किया गया और आरोप पत्र प्रेषित किया गया।" जिरह में बताया कि "पीड़िता के 161 सीआर.पी.सी. के बयान दो बार लिये थे, दूसरी बार मजीद बयान लिये थे क्योंकि प्रकरण में धारा-307 आई.पी.सी. का केस था, जिसमें उसने बताया था कि मैं डर गयी थी इसलिए मैंने पूर्व में केवल मारपीट व गाली गलौच की बात बताई थी। मैंने पीड़िता के घटना के समय पहने कपड़े कब्जे में लेते समय गवाह के रूप में ताई अरदेश व बुआ सीमा रानी को गवाह बनाया था, मुझे पीड़िता द्वारा घटना के कितनी देर बाद अभियुक्त भागा, मुझे नहीं बताया केवल यह बताया कि घटना के समय अभियुक्त ने

कई बार बलात्कार किया। आरोप पत्र के साथ पीड़िता द्वारा अभियुक्त बंटी के विरूद्ध दर्ज कराई गई एन.सी.आर. पत्रावली पर मौजूद है। यह बात सही है कि एन.सी.आर. में पीड़िता द्वारा अभियुक्त बंटी के विरूद्ध मारपीट एवं गाली गलौच की घटना लिखवाई गई है।"

24. पत्रावली पर केस डायरी में एन.सी.आर. की प्रति कागज सं0-5/3 संलग्न है जो कि धारा-323, 504 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्त बंटी के विरूद्ध दी गई है जिसमें यह लिखा था कि *"अभियुक्त घर के बाहर गाली-गलौच कर रहा है, बाहर निकलकर बोला कि तुम घर के सामने गाली क्यों दे रहे हो तो वह आग बबूला हो गया मुझे भी गाली देने लगा, मेरे साथ मारपीट करने लगा मौहल्ले वालों ने आकर बचाया"*, इससे यह तथ्य तो साबित हो ही जाता है कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक को पीड़िता के साथ घटना कारित की थी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अब न्यायालय को यह निर्धारण करना है कि क्या पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौच जैसी ही घटना कारित हुई थी या घर में घुसकर पीड़िता के साथ मारपीटकर उसकी नाम की हड्डी को फ्रैक्चर पहुँचाया गया और उसके साथ बलात्कार कारित किया गया व गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। इस एन.सी.आर. के उपरान्त पीड़िता द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई जो कि प्रदर्श क-4 है इसमें पीड़िता ने कथन किया कि घर के बाहर लाइट बंद होने पर जब उसने उठकर देखा और लाईट जला दी लौटकर कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी तभी अभियुक्त द्वारा दरवाजा खोल दिया गया और उसके बाद पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौच, बलात्कार व हत्या के प्रयास का अपराध किया जाना कथित किया। विवेचक ने बताया कि पीड़िता डर गयी थी इसलिए उसने डर में एन.सी.आर. दी थी परन्तु जब पीड़िता की ताई व बुआ ने कहा कि जो घटना घटी है, उसके बारे में बताओं तब उसने यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई। धारा-164 सीआर.पी.सी. के बयानों में पीड़िता ने यह कथन किया कि शर्म के मारे मैं 4 तारीख को नहीं बता पायी फिर बुआ के कहने पर रात को करीब 12 बजे मेरी आन्तरिक जांच हुई। मारपीट की चोट को पी0 डब्लू0-5 द्वारा साबित किया गया है उनके द्वारा बताया कि *"दिनांक 04.06.2020 को मैं आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर था। चोटिल महिला को समय 4.50 ए.एम. पर लाया गया जिसके शरीर पर एक चोट पाई गई जो कि नीलगू निशान सूजन के साथ बायी तरफ चेहरे पर नाक सहित 09.00x5.00 सेंटीमीटर पाई गई थी जिसे निगरानी में रखते हुए एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चोट उस वक्त ताजा थी एवं किसी ठोस या कठोर वस्तु से आना संभव थी। एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर सप्लीमेंटरी रिपोर्ट तैयार की गई। चोट का नाक वाले हिस्से में चोट गंभीर प्रकृति की थी एवं बाकी हिस्से में साधारण थी।"* जिरह में बताया कि "इस चोट की ड्यूरेशन लगभग 6-8 घंटे होगी। नाक पर जो चोट आयी है, उसमें डाक्टर के द्वारा केवल फ्रैक्चर लिखा गया है। उसी के आधार पर मेरे द्वारा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की गयी है। एक्स रे करने वाले डॉक्टर के द्वारा चोट को गंभीर नहीं लिखा गया है। यह चोट रात के अंधेरे में मुँह के बल गिरने से भी आना संभव है।"

इस प्रकार पीड़िता के गले पर किसी चोट का निशान, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, ऐसी स्थिति में पीड़िता का यह कथन कि चार्जर की केबल से उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया, साबित होता है। पीड़िता की नाक पर चोट पायी गयी जो कि गंभीर प्रकृति की थी और उसकी नाक में फ्रैक्चर पाया गया। फ्रैक्चर के आधार पर पीड़िता की चोट धारा-325 भा0 दं0 सं0 में वर्णित चोट की श्रेणी में आती है। अन्य चोट साधारण प्रकृति की थी जो धारा-323 भा0 दं0 सं0 की परिधि में आती है।

पीड़िता द्वारा घर में घुसकर अभियुक्त द्वारा मारपीट करने और बलात्कार करने का कथन

किया है पीड़िता के शरीर पर कोई आन्तरिक व वाह्य परीक्षण में कोई चोट नहीं पायी गयी है। स्लाईड में कोई जीवित या मृत शुक्राणु भी नहीं पाये गये है जबकि पीड़िता द्वारा कथन किया गया है कि उसके साथ कई बार अभियुक्त ने शारीरिक सम्बन्ध बनाये। पीड़िता के जो वस्त्र उक्त समय पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किये गये थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट कागज सं0-8 बी/5 के अनुसार प्रेषित वस्त्र/वस्तु में किसी प्रकार के शुक्राणु, रक्त और बाल नहीं पाये गये है, ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता कि पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार का अपराध कारित किया गया है। पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया था कि अभियुक्त ने उसे निर्वस्त्र कर दिया था और उसपर चादर और कंबल मौके पर उपस्थित पड़ोसियों द्वारा डाला गया परन्तु ऐसे किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया जिससे कि यह तथ्य निःसन्देह रूप से साबित हो जाता कि वास्तव में बलात्कार की घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर उसको साधारण व गंभीर चोट पहुँचायी गयी और उसके द्वारा पीड़िता के घर में घुसकर उसका मुँह दबाया गया। इस प्रकार उसके द्वारा किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया इस प्रकार समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-452, 323, 325, 354 ख भा0 दं0 सं0 का अपराध संदेह से परे साबित होता है तथा धारा-376 व 307 भा0 दं0 सं0 का अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है जिसके लिए वह दोषमुक्त होने योग्य है।

25. अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बन्टी के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा– 376 व 307 भारतीय दण्ड संहिता, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है जिसके लिए वह दोषमुक्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बंटी के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–452, 323, 325, 354 ख भारतीय दण्ड संहिता, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है जिसके लिए वह दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–1190/2020, मुकदमा अपराध संख्या–803/2020, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद से संबंधित अभियुक्त **बन्टी** को धारा–**376 व 307** भारतीय दण्ड संहिता में **दोषमुक्त** किया जाता है एवं धारा–**452, 323, 325, 354 ख** भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अभियुक्त दिनांक **12.08.2026** को जिला कारागार, बिजनौर से तलब हो।

दिनांक–11.08.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

<u>दिनांक-12.08.2026</u>

1. दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु अभियुक्त जिला कारागार बिजनौर से उपस्थित आया। दोषसिद्ध अभियुक्त बन्टी के विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। दोषसिद्ध अभियुक्त **बन्टी** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है इसीलिए सी.डी.सी. उसकी पैरवी करने हेतु नियुक्त हुए है, अतः जेल में बितायी गई अवधि पर अवमुक्त करने की कृपा करें।

2. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अशोक कुमार यादव द्वारा अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

3. जेल से आख्या आहूत की गई। जिला कारागार मुरादाबाद की आख्या के अनुसार अभियुक्त दिनांक 05.06.2020 से दिनांक 07.10.2022 तक जिला कारागार, मुरादाबाद में इस मामले में निरूद्ध रहा है व जिला कारागार बिजनौर की आख्या के अनुसार प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार मुरादाबाद से स्थानान्तरित होकर अभियुक्त दिनांक 07.10.2022 से वर्तमान तक जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध रहा है, इस प्रकार अभियुक्त की 6 वर्ष से अधिक समयावधि निरूद्धता जिला कारागार में हो चुकी है।

3. अभियुक्त को धारा-452, 323, 325 व 354 ख भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया है।

धारा-452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत घर में घुसकर उपहति कारित करने के लिए दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय किये जाने का प्रावधान है।

धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने से जो एक हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

धारा-325 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने पर किसी व्यक्ति को दोनों भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

धारा-354 ख भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी महिला को निर्वस्त्र करने, नग्न करने के इरादे से उसपर हमला करने व आपराधिक बल का प्रयोग करने पर न्यूनतम 3 वर्ष तक के कारावास व अधिकतम 7 वर्ष के कारावास के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अभियुक्त को धारा-452 भारतीय दण्ड संहिता में 6 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता में 1 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा-325 भारतीय दण्ड संहिता में 6 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा-354 ख भारतीय दण्ड संहिता में 6 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **बन्टी** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–452 में **6 वर्ष** के कारावास व **5 हजार रूपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **2 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **बन्टी** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 में **1 वर्ष** के कारावास व **500 रूपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **7 दिन** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **बन्टी** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–325 में **6 वर्ष** के कारावास व **10 हजार रूपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **3 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **बन्टी** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–354 ख में **6 वर्ष** के कारावास व **10 हजार रूपये** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **3 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वसूल की गई धनराशि में से 20,000/–रूपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर नियमानुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करके प्रदान की जाये। शेष वसूल की जाने वाली धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाये।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गयी अवधि इस दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का दोषसिद्ध अधिपत्य तैयार कर उसे जिला कारागार मुरादाबाद, प्रेषित किया जाये।

अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये एवं निर्णय की प्रति अधीक्षक जिला कारागार मुरादाबाद को भी प्रेषित की जाये।

दिनाँक–12.08.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613

उक्त दण्डादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–12.08.2026

(प्रीति सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट कोर्ट सं0–1, मुरादाबाद
ID No.-UP 1613